अध्याय 4

वाहनों पर कर

अध्याय-4

वाहनों पर कर

4.1 कर प्रबंधन

मोटर वाहनों का पंजीकरण, परमिटों का निर्गम, ड्राईविंग/कंडक्टर लाईसेंसों का निर्गम, टोकन टैक्स, परमिट फीस तथा लाईसेंस फीस के उद्ग्रहण एवं संग्रहण, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (एम.वी. अधिनियम), केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 (सी.एम.वी.आर.), हरियाणा मोटर वाहन नियम, 1993, पंजाब मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1924 (पी.एम.वी.टी. अधिनियम), हरियाणा राज्य में यथा लागू और पंजाब मोटर वाहन कराधान नियम, 1925 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होते हैं। अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, परिवहन विभाग के प्रशासनिक मुखिया हैं तथा परिवहन आयुक्त, जो विभाग के कार्यचालन पर सामान्य अधीक्षण करते हैं, द्वारा सहायता प्राप्त हैं। गैर-परिवहन वाहनों के संबंध में, पंजीकरण एवं लाईसेंसिंग प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग उप-मंडल अधिकारियों (सिविल) द्वारा किया जा रहा है जबकि माल वाहनों सहित परिवहन वाहनों के संबंध में पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग प्राधिकारी (आर.एल.ए.) की शक्तियों का प्रयोग सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारियों (आर.टी.ए.) द्वारा किया जा रहा है।

4.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2023-24 के दौरान, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों की 22 में से 13 इकाइयों और पंजीकरण प्राधिकरण (एम.वी.), अपर मुख्य सचिव (परिवहन विभाग) तथा राज्य परिवहन आयुक्त, चंडीगढ़ की 74 में से 22 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना-जांच में माल ढोने वाले वाहनों, मैक्सी/मोटर कैब, शैक्षिक/संस्थागत बसों से मोटर वाहन कर (एम.वी.टी.) की वसूली न होना या कम होना, ओवरलोड वाहनों से जुर्माना वसूल न करना और सरकारी खजाने में राजस्व प्राप्तियों का जमा न होना या कम जमा होना और अन्य अनियमितताओं का पता चला, जिनमें ₹ 13.95 करोड़ के 3,185 मामले शामिल हैं, जिन्हें **तालिका 4.1** में दर्शाई गई निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

तालिका 4.1: लेखापरीक्षा के परिणाम

क्र. सं.	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	सरकारी खाते में राजस्व प्राप्तियों को जमा न करना/कम जमा करना	5	5.44
2.	मालवाहक वाहनों/संस्थागत बसों/मैक्सी/मोटर कैब और स्टेट कैरिज बसों से मोटर वाहन कर की अवसूली/कम वसूली	2,135	5.11
3.	ओवरलोडिड वाहनों से जुर्माने की अवसूली	223	1.03
4.	राष्ट्रीय परमिट वाले वाहनों से नवीनीकरण प्राधिकार/समेकित शुल्क का संग्रह न किया जाना	125	0.44
5.	पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग प्राधिकरण के अंतर्गत मोटर वाहन कर की अवसूली/कम वसूली	40	0.27
6.	विविध अनियमितताएं	657	1.66
	योग	**3,185**	**13.95**

विभाग ने वर्ष के दौरान इंगित किए गए 3,163 मामलों में ₹ 13.95 करोड़ के मोटर वाहन कर अवसूली/कम वसूली और अन्य कमियों को स्वीकार किया। विभाग ने वर्ष 2023-24 के दौरान पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित 16 मामलों में ₹ 3.25 लाख की वसूली की।

₹ 8.17 करोड़ से आवेष्टित महत्वपूर्ण मामलों पर निम्नलिखित अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

4.3 सरकारी प्राप्तियों का संदिग्ध दुर्विनियोग

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, पंचकुला में नियंत्रक अधिकारी द्वारा वित्तीय नियमों का पालन न करने के परिणामस्वरूप ₹ 5.43 करोड़ के सरकारी धन का संदिग्ध दुर्विनियोग हुआ।

हरियाणा सरकार द्वारा अपनाए गए पंजाब वित्तीय नियमावली के नियम 2.1 (बी) में प्रावधान है कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से अपने हाथों से लेन-देन होने वाले धन के लिए तथा संबंधित खाते में प्राप्तियों और भुगतानों के त्वरित अभिलेख रखने के साथ-साथ खाते की हर तरह से शुद्धता के लिए भी उत्तरदायी है। हरियाणा सरकार द्वारा अपनाई गई पंजाब वित्तीय नियमावली के नियम 2.2 और 2.4 के अनुसार, आहरण एवं संवितरण अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह स्वयं को संतुष्ट करे कि सभी मौद्रिक लेन-देन के घटित होते ही वे रोकड़ बही में दर्ज किए जाएं और उनके द्वारा सत्यापित किए जाएं। उपर्युक्त नियम 2.4 यह भी प्रावधान करता है कि कार्यालय प्रमुख को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दिन के दौरान एकत्र की गई सभी विभागीय प्राप्तियां उसी दिन या अगले दिन सुबह खजाना/बैंक में जमा करा दी जाएं।

पंजाब वित्तीय नियमावली के नियम 2.2 (iii) के अनुसार, कार्यालय प्रमुख से यह अपेक्षित है कि वह रोकड़ बही की सभी प्रविष्टियों और उनके योग को सत्यापित करे तथा यह प्रमाणित करने के लिए अपने लघु हस्ताक्षर करे कि सभी प्रविष्टियां सही हैं। नियम 2.2 (v) के अनुसार, पिछले महीने के दौरान किए गए सभी प्रेषणों के लिए अगले महीने की 15 तारीख तक खजाना से एक समेकित रसीद प्राप्त की जानी चाहिए और सत्यापन करने से पूर्व खजाना अधिकारी या बैंक की रसीद या चालान या पासबुक के माध्यम से किए गए भुगतानों का रोकड़ बही की प्रविष्टियों के साथ मिलान किया जाना चाहिए तथा स्वयं को संतुष्ट कर लेना चाहिए कि राशि वास्तव में खजाना या बैंक में जमा कर दी गई है। महानिदेशक, खजाना एवं लेखा, हरियाणा, चंडीगढ़ ने भी जनवरी 2017 में यह निर्देश दिया कि आहरण एवं संवितरण अधिकारी मासिक आधार पर ई-जीआरएएस पोर्टल पर उपलब्ध एक निश्चित अवधि की सभी प्राप्तियों का तिथि-वार सत्यापन करेंगे और उन्हें संबंधित खजाना अधिकारी/सहायक खजाना अधिकारी को ऑनलाइन भेजेंगे जो आहरण एवं संवितरण अधिकारी से प्राप्ति के उपरांत मॉड्यूल में वास्तविक

समय के आधार पर इनका सत्यापन करेंगे। विभाग/आहरण एवं संवितरण अधिकारी सत्यापित सीटीआर रसीद का प्रिंट लेंगे और उसे अपने हस्ताक्षर तथा संबंधित खजाना अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करवा कर अपने मुख्यालय भेजेंगे।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, पंचकुला के अप्रैल 2020 से मार्च 2023 तक की अवधि के अभिलेखों की संवीक्षा (अगस्त से सितंबर 2023) के दौरान, लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईं:

(i) लेखापरीक्षा के दौरान दैनिक संग्रह रजिस्टर, समेकित खजाना रसीद रजिस्टर, रसीद पुस्तिकाओं और रोकड़ बही से यह देखा गया कि अप्रैल 2020 से अगस्त 2023 की अवधि के लिए मोटर वाहन अधिनियम के तहत विभिन्न फीस एवं करों[1] के रूप में ₹ 4.94 करोड़ की राशि एकत्र की गई थी। इन संग्रहों को रोकड़ बही में दर्ज किया गया था और उक्त राशि के ई-चालान भी तैयार किए गए थे। हालांकि, संग्रह के तीन वर्ष से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी उक्त राशि को खजाना/सरकारी खाते में जमा नहीं किया गया था। खजाना एवं लेखा, वित्त विभाग, हरियाणा सरकार के साथ जी.आर.एन. नंबरों के सत्यापन के दौरान, राज्य सरकार के ई-ग्रास पोर्टल पर इन चालानों की स्थिति लंबित पाई गई। नियंत्रक अधिकारी ने अप्रैल 2020 से मार्च 2023 की अवधि के लिए दैनिक संग्रह रजिस्टर की न तो जांच की और न ही उस पर हस्ताक्षर किए, तथा न ही खजाना रसीद के साथ दैनिक संग्रह रजिस्टर की प्रविष्टियों का क्रॉस-सत्यापन किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.94 करोड़ के संदिग्ध गबन का मामला सामने आया।

(ii) इसके अतिरिक्त, जुलाई 2020, अगस्त 2020 और अप्रैल 2021 के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि आठ मामलों में, दैनिक संग्रह रजिस्टर के अनुसार विभाग द्वारा प्राप्त राशि ₹ 38.66 लाख थी। रोकड़ बही/दैनिक संग्रह रजिस्टर के योग के आधार पर, इसके एवज में केवल ₹ 14.70 लाख की राशि ही खजाने में जमा की गई, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 23.96 लाख का कम प्रेषण हुआ।

(iii) लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि 70 मामलों में, विभाग द्वारा ई-चालान पोर्टल पर 332 चालानों के बदले ₹ 1.33 करोड़ (₹ 132.82 लाख) की राशि प्राप्त की गई थी, जबकि वास्तव में ₹ 107.30 लाख की राशि के कुल 279 चालान ही रोकड़ बही में दर्ज किए गए और

---

[1] मोटर वाहन कर, परमिट फीस, वाहन पंजीकरण फीस, लाइसेंस फीस, एच.एस.आर.पी. प्लेट फीस, अपराधों के लिए शुल्क और पेनल्टी, वाहन फिटनेस फीस, ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल फीस और प्रदूषण फिटनेस केंद्र फीस।

सरकारी खजाने में जमा किए गए। इसके परिणामस्वरूप ₹ 25.52 लाख की सरकारी प्राप्ति का लेखा-जोखा न रखने के कारण राज्य सरकार के साथ इस राशि के संदिग्ध गबन का मामला सामने आया।

इस प्रकार, नियंत्रक अधिकारी द्वारा वित्तीय नियमों का पालन न करने के परिणामस्वरूप ₹ 5.43 करोड़ की सरकारी राशि का संदिग्ध गबन हुआ। आंतरिक नियंत्रण की यह कमी भारी मात्रा में प्राप्त राशि, कैश बुक में उनके उचित लेखांकन और सरकारी खाते में जमा करने से संबंधित गंभीर कदाचार का कारण बन सकती है। सरकार को गबन के ऐसे मामलों की रोकथाम, पहचान और रिपोर्टिंग के लिए तत्काल उपयुक्त नियंत्रण उपाय लागू करने की आवश्यकता है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर (अगस्त 2023), क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, पंचकुला ने सूचित किया (जुलाई 2024, जून 2026) कि दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अगस्त 2023 में प्राथमिकी दर्ज करा दी गई थी और मामला माननीय अपर सत्र न्यायाधीश, पंचकुला की अदालत में विचाराधीन है।

मामला अप्रैल 2025 में आयुक्त, परिवहन विभाग के पास भेजा गया था और जुलाई 2025 में सरकार को सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (फरवरी 2026)।

4.4 मालवाहक वाहनों के मालिकों से मोटर वाहन कर की अवसूली/कम वसूली

1,363 मालवाहक वाहनों के मालिकों ने मोटर वाहन कर का भुगतान नहीं किया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.52 करोड़ के कर की अवसूली/कम वसूली हुई।

हरियाणा मोटर वाहन कराधान अधिनियम (एच.एम.वी.टी. एक्ट), 2016 की धारा 3 में प्रावधान है कि राज्य में उपयोग किए जाने वाले या उपयोग के लिए रखे गए सभी मोटर वाहनों पर ऐसी दरों और पेनल्टी के साथ कर लगाया और एकत्र किया जाएगा, जैसा कि सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से निर्दिष्ट किया जाए। सरकार ने अधिसूचना संख्या 13/15/2010-6T(I) दिनांक 29 सितंबर 2017 के माध्यम से हरियाणा राज्य में पंजीकृत सभी श्रेणियों के वाहनों के लिए मोटर वाहन कर की दरों[2] को अधिसूचित किया, जिसे 31 मई 2019 और 5 अगस्त 2022 को संशोधित किया गया। राज्य में पहले से पंजीकृत परिवहन वाहनों को तिमाही/वर्ष के शुरू होने के 30 दिनों के भीतर तिमाही/वार्षिक रूप से कर का भुगतान करना चाहिए। तथापि, यदि वाहन का मालिक समय पर कर का भुगतान नहीं करता है, तो अधिसूचना

[2] ₹ 300 (1.2 टन तक), ₹ 7,200 (1.2 टन से अधिक परंतु 6 टन से कम), ₹ 9,600 (6 टन से अधिक परंतु 16.2 टन से कम), ₹ 11,200 (16.2 टन से अधिक परंतु 18.5 टन से कम), ₹ 17,300 (18.5 टन से अधिक परंतु 28 टन से कम) तथा ₹ 25,300 (28 टन से अधिक)।

के नोट (डी) के अनुसार, विलंब के प्रत्येक दिन के लिए देय कर के 0.5 प्रतिशत की दर से पेनल्टी के उद्ग्रहण का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, 5 अगस्त 2022 की अधिसूचना के अनुसार विलंब के लिए 3 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से पेनल्टी के उद्ग्रहण का प्रावधान है। पेनल्टी की अधिकतम राशि देय कर की राशि से अधिक नहीं होगी।

13 क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों[3] के कार्यालयों के मोटर वाहन रजिस्टर के अभिलेखों (मई 2023 और मार्च 2024 के मध्य) की संवीक्षा से पता चला कि 1,363 मालवाहक वाहनों के वाहन मालिकों ने 2020-23 के मध्य विभिन्न अवधियों के लिए ₹ 1.67 करोड़ के मोटर वाहन कर को या तो जमा नहीं किया था या कम जमा किया था। इसके अतिरिक्त, अधिनियम के अनुसार ₹ 0.85 करोड़ की पेनल्टी भी उद्ग्राहय थी। विभाग द्वारा न तो कोई मांग नोटिस जारी किया गया था और न ही बकाया राशि की वसूली की निगरानी के लिए कोई प्रणाली मौजूद थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.52 करोड़ के मोटर वाहन कर की वसूली नहीं हुई या कम वसूली हुई।

यह इंगित किए जाने पर, सभी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों ने सूचित किया (जून 2023 से अप्रैल 2025 के मध्य) कि आठ क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों[4] के संबंध में 306 मालवाहक वाहनों के मालिकों से ₹ 43.80 लाख (जिसमें ₹ 11.33 लाख की पेनल्टी भी शामिल है) वसूल कर लिए गए हैं। साथ ही, शेष 1,057 वाहन मालिकों से ₹ 2.08 करोड़ की बकाया राशि की वसूली के लिए नोटिस जारी कर दिए गए थे या जारी किए जाएंगे।

मामला अप्रैल 2025 में परिवहन विभाग के पास भेजा गया था और नवंबर 2025 में सरकार को सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (फरवरी 2026)।

4.5 मैक्सी/मोटर कैब मालिकों से मोटर वाहन कर की अवसूली

356 मैक्सी/मोटर कैब मालिकों ने मोटर वाहन कर का भुगतान नहीं किया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 21.68 लाख के कर की वसूली नहीं हुई।

हरियाणा मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 2016 की धारा 3 यह प्रावधान करती है कि राज्य में उपयोग किए जाने वाले या उपयोग के लिए रखे गए सभी मोटर वाहनों पर सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित दर और पेनल्टी के अनुसार कर उद्ग्रहित और संग्रहित किया

[3] क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण अंबाला, भिवानी, फतेहाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, झज्जर, करनाल, कुरूक्षेत्र, नूंह, पंचकुला, रेवाड़ी और रोहतक।

[4] क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण अंबाला ₹ 6.62 लाख, भिवानी ₹ 3.32 लाख, फरीदाबाद ₹ 13.22 लाख, फतेहाबाद ₹ 3.62 लाख, करनाल ₹ 7.34 लाख, कुरूक्षेत्र ₹ 3.45 लाख, नूंह ₹ 3.21 लाख और रेवाड़ी ₹ 3.02 लाख।

जाएगा। सरकार ने अधिसूचना संख्या 13/15/2010-6T(I) दिनांक 29 सितंबर 2017 और 5 अगस्त 2022 के माध्यम से हरियाणा राज्य में पंजीकृत वाहनों की सभी श्रेणियों के लिए मोटर वाहन कर की दरें अधिसूचित की हैं। राज्य में पहले से पंजीकृत परिवहन वाहनों को तिमाही/वर्ष के शुरू होने के 30 दिनों के भीतर तिमाही/वार्षिक रूप से कर का भुगतान करना चाहिए। तथापि, यदि वाहन का मालिक समय पर कर का भुगतान नहीं करता है, तो अधिसूचना के नोट (डी) के अनुसार, विलंब के प्रत्येक दिन के लिए देय कर के 0.5 प्रतिशत की दर से पेनल्टी के उद्ग्रहण का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, 5 अगस्त 2022 की अधिसूचना के अनुसार विलंब की स्थिति में 3 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से पेनल्टी के उद्ग्रहण का प्रावधान है। पेनल्टी की अधिकतम राशि देय कर की राशि से अधिक नहीं होगी। मैक्सी/मोटर कैब वाहनों के लिए कर की दरें निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	विवरण	कर की दर
1.	चालक को छोड़कर तीन सीटों तक	वाहन की लागत का दो प्रतिशत, जो एकमुश्त देय है
2.	चालक को छोड़कर चार और उससे अधिक सीटों वाले (तिपहिया वाहन)	₹ 600 प्रति सीट प्रतिवर्ष, जो मासिक/तिमाही आधार पर देय है
3.	चालक को छोड़कर चार से छः सीटों वाले (चौपहिया वाहन)	₹ 625 प्रति सीट प्रतिवर्ष, जो मासिक/तिमाही आधार पर देय है
4.	चालक को छोड़कर सात से बारह सीटों वाले (चौपहिया वाहन)	₹ 1,450 प्रति सीट प्रतिवर्ष, जो मासिक/तिमाही आधार पर देय है

वर्ष 2021-2023 के लिए नौ क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों[5] के कार्यालयों के यात्री वाहनों से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा (जून 2023 और मार्च 2024 के मध्य) से यह पता चला कि 356 मैक्सी/मोटर कैब मालिकों ने ₹ 21.68 लाख के मोटर वाहन कर और पेनल्टी का भुगतान नहीं किया था। विभाग द्वारा कर की वसूली के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 21.68 लाख के मोटर वाहन कर की वसूली नहीं हुई/कम वसूली हुई, जिसमें अधिनियम के अनुसार उद्ग्राहय ₹ 7.36 लाख की पेनल्टी भी शामिल थी।

मामला इंगित किए जाने पर, सभी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों[6] ने सूचित किया (फरवरी 2024 और जुलाई 2025 के मध्य) कि 142 मैक्सी/मोटर कैब मालिकों से ₹ 8.02 लाख (₹ 2.40 लाख की पेनल्टी सहित) की राशि वसूल कर ली गई थी। शेष 214 मैक्सी/मोटर कैब मालिकों से ₹ 13.66 लाख (₹ 4.96 लाख की पेनल्टी सहित) की बकाया राशि वसूल करने के प्रयास किए जाएंगे।

---

5 अंबाला, फतेहाबाद, गुरुग्राम, हिसार, झज्जर, करनाल, कुरुक्षेत्र, नूंह और रेवाड़ी।

6 क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, अंबाला: ₹ 0.03 लाख, फतेहाबाद: ₹ 0.15 लाख, गुरुग्राम: ₹ 2.03 लाख, हिसार: ₹ 1.41 लाख, झज्जर: ₹ 0.96 लाख, करनाल: ₹ 0.99 लाख, कुरुक्षेत्र: ₹ 0.60 लाख, नूंह: ₹ 0.51 लाख और रेवाड़ी: ₹ 1.34 लाख।

मामला अप्रैल 2025 में परिवहन विभाग के पास भेजा गया था और अक्तूबर 2025 में सरकार को सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (फरवरी 2026)।

चंडीगढ़
दिनांक: 07 अगस्त 2026

(आशुतोष शर्मा)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 12 अगस्त 2026

(के. संजय मूर्ति)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक